

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1943 (श0)

(सं0 पटना 47) पटना, मंगलवार, 1 फरवरी 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना 1 फरवरी 2022

संo 02/कर/शुल्क-10/2021, परिo/658—बिहार मोटरवाहन करारोपण (यथासंशोधित) अधिनियम, 1994 की धारा-15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-51 क के आलोक में मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रिजस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अन्तर्गत वाहनों के स्क्रेपिंग सुविधा रिजस्ट्रीकरण और कृत्य से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची-IV के पश्चात् अनुसूची-V निम्नरुप से जोड़ा जाता है :--

अनुसूची-V

<u> </u>		
क्र0सं0	प्रयोजन	मोटरवाहन कर में रियायत
1	यदि वाहन ''निक्षेप प्रमाण–पत्र''	गैर परिवहन वाहन के मामले में वर्तमान कर का 25%
	(Certificate of Deposit) प्रस्तुत	छूट / रियायत मोटरवाहन कर में प्रदान किया जायेगा, जिसका
		उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष तक किया जा
	जाता है, तो मोटरयान के निबंधन के	सकेगा।
	समय यान का स्क्रेपिंग प्रमाण–पत्र	परिवहन वाहन के मामले में वर्तमान कर का 15%
	प्रस्तुत करने पर।	छूट / रियायत मोटरवाहन कर में प्रदान किया जायेगा, जिसका
		उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 08 वर्ष तक किया जा
		सकेगा।

2- यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।

The 1st February 2022

No.-02/ক্স/যুক্ত–10/2021,परि0/658—In exercise of the power conferred by section-15 (1) of Bihar Motor Vehicle taxation (as amended) Act., 1994, in light of the rule-51 (A) of Central Motor Vehicle Rule, 1989 for the registration facility of scrapping of the vehicles and the disposal the work related to it, under the Motor Vehicles (Registration and Functions of vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 Schedule-V is added after Schedule- IV under Bihar Motor Vehicle taxation Act., 1994 in following manner.

Schedule-V

Sl.	Purpose	Rebate
No.		
1	On submission of Scrapping certificate at the time of registration. If registration is made for the submission of the Certificate of Deposit of the vehicle.	1 ,
		of registration.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar, Sanjay Kumar Agarwal, Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 47-571+10-डी0टी0पी0

Website: http://egazette.bih.nic.in